डा० क्षत्रपति शिवाजी, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS
Secretary
Tel.: 011-23742133
Fax: 011-23742546
Email: secy-arpg@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
पेंशन एवं पेशनभोगी कल्याण विभाग,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS,
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE
LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET,
NEW DELHI-110003

अ.शा. सं.-12/(3)/2020-पी एंड पी डब्ल्यू (समन्वय)

16 जनवरी, 2020

प्रिय, श्री राजेन्द्र के तिवारी जी,

केन्द्र सरकार पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये इस विभाग ने 2019 में चुनी हुई पेंशनर्स एसोशिएन को नियुक्त किया था। पेंशनर्स एसोशिएन नोएडा द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश कोषागार कार्यालय द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं जा रहा है। इस संदर्भ में कोषागार कार्यालय में वार्ता करने पर यह ज्ञात हुआ कि पत्रांक सं-19/2216/ए-1-907/दस-2016-10(65)/2014 दिनांक 14/12/2016 को प्रमुख सचिव कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देने के लिये पेंशनर्स को प्रथम बार संबंधित कोषागार कार्यालय में पी.पी.ओ., आधार कार्ड, बैंक पासबुक के पास स्वयं उपस्थित होना होगा।

इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 16 नवंबर 2015 में जीवन प्रमाण-पत्र सुविधा लॉन्च की गई थी, जो कि बायोमेट्रिक्स ऑथोन्टिकेशन पर आधारित है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/11/2014 के अनुसार पेंशनर्स ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकता है और उसे इसके लिए बैंक अथवा कोषागार में जाने की आवश्यकता नहीं है (प्रतिलिपि संलग्न)। पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसी (पी.डी.ए.) उसे स्वयं उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेंगी। अत: आपसे निवेदन है कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए पेंशनर्स को प्रथम बार कोषागार में उपस्थित होने को अनिवार्य न किया जाए और ऑनलाइन जीवन प्रमाण सभी कोषागारों में सुचारू रूप से लागू किया जाए, इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाय।

सादर,

आपका

(क्षत्रपति शिवाजी)

श्री राजेंद्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
101, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय
विधानसभा मार्ग,
लखनऊ-226001

सूचना का अधिकार

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Central Pension Accounting Office
Trikoot II, Bhikaji Cama Place
New Delhi 110 066

CPAO/Tech/Amdt.-Sch. Book/2014-15 **dated: 10.11.2014**

Amendment to the Scheme for Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners by Authorized Banks (Fourth Edition, 3rd December, 2004)

Correction Slip-22

Addition under Para 15.2 as S.No. (xiii)

(xiii)A life Certificate issued online by a Government Agency as a result of Aadhaar Biometric Authentication will also be accepted as a valid certificate. This document may be accessed through a Website (to be notified separately) by the Pension Disbursing Agency without insisting either on personal appearance of the pensioner or Life certificate by the competent authority referred above

(Vijay Singh)
Sr. Accounts Officer (Tech)

संख्या-19/2016/ए-1-907/दस-2016-10(65)/2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016**

विषय : प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु शासन के पत्रांक-ए-1-1086/दस-2015-10(65)/2014, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर ऑनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव होगा। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) को जनरेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार-पत्र (पीपीओ), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियाँ लेकर उपस्थित होना होगा।

(2) कोषागार स्तर पर www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों का मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर फीड करने पर एक फार्म खुलेगा, जिसमें आधार नम्बर, पेंशनर का नाम, पेंशन प्राधिकार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण एवं मोबाइल नम्बर फीड कर रजिस्टर कराया जायेगा तथा एस0टी0क्यू0सी0 बायोमेट्रिक डिवाइस पर अंगूठा लगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।